(1)

अकलंक विद्यालय एसोसिएशन

बसंत बिहार, कोटा फोन : 422866

संस्था व संविधान पंजीकरण सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अधिनियम के तहत हमारे रजिस्ट्रेशन नं. 89/56–57 दिनांक 19.10.56 में निम्न संशोधन एसोसियेशन के सचिव श्री अविनाश जैन ने संस्था के मूल संविधान में प्रस्तावित संशोधन कार्यकारिणी के सामने विस्तार से प्रस्तुत किये निम्न प्रकार से हैं –

धारा	उपधारा	मूल संविधान	संशोधित संविधान
1	नाम	इस संस्था का नाम श्री अकलंक एसोसिएशन विद्यालय कोटा होगा	वही
2	स्थान	इस संस्था का कार्य क्षेत्र कोटा होगा	पंजीकृत कार्यालय तथा कार्य क्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय बसन्त बिहार कोटा रहेगा तथा कार्य क्षेत्र, कोटा जिला तक सीमित होगा।
	(अ) भाषा	इस संस्था का कार्य हिन्दी में होगा आवश्यकतानुसार अन्य भाषों का भी उपयोग हो सकेगा।	वही
	(ब) वर्ष	इस संस्था का वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होगा।	इस संस्था का वित्तीय वर्ष 1 अप्रेल से 31 मार्च तक का होगा। हिसाब किताब वित्तीय वर्ष के अनुसार होगा।
	(स) परिभाषा	1. विद्यालय अथवा संस्था से तात्पर्य श्री अकलंक विद्यालय कोटा होगा	विद्यालय से तात्पर्य श्री अकलंक विद्यालय, कोटा एवं समिती द्वारा संचालित अन्य विद्यालय, महाविद्यालय इत्यादी होंगे।
		2. सदस्य से अर्थ उपरोक्त विद्यालय के सदस्य से होगा।	सदस्य से तात्पर्य उपरोक्त ऐसोसिऐशन के सदस्य से होगा।
		3. कार्यकारिणी से तात्पर्य संस्था की कार्यकारीणी समिती से होगा	कार्यकारिणी से तात्पर्य अकलंक विद्यालय ऐसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति से होगा
		4. जनरल सभा से अर्थ जनरल समिति से होगा	साधारण सभा से अर्थ श्री अकलंक विद्यालय ऐसोसिएशन, कोटा के सभी सदस्यों की साधारण सभा से होगा।

1–संस्थान पंजीयन क्रमांक 89/56-57
2–संस्था का नाम अकलंक विद्यालय एसोसिएशन
3–किस्म दस्तावेज संशोधित विधान
4–दस्तावेजों की संख्या 1
5, दिनांक पंजीयन 19-10-56
6–हस्ताक्षर रजिस्ट्रार

संशोधित दिनांक 14-4-2001 को ...

रजिस्ट्रार
संस्थायें–कोटा (राज०)

अध्यक्ष
अकलंक विद्यालय, एसोसिएशन
कोटा

सचिव
अकलंक विद्यालय एसोसिएशन
कोटा

(कोषाध्यक्ष)

2

3. उद्देश्य व उसकी पूर्ति के साधन

1. आकर्षक साधनों द्वारा साक्षरता का प्रचार
2. नवांकुर बालकों को मानव संस्कृति के उद्देश्यों द्वारा कुसंगति कुसंस्कारों से बचाना
3. बालक बालिकाओं में सभ्यता संस्कृति और विश्व बन्धुत्व की भावनाऐं जागृत क ना
4. अन्य सांस्कृति, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति के लिए उत्सव परीक्षायें आदि का आयोजन करना
5. राजस्थान के शिक्षा विभाग के नियमानुसार बालक–बालिकाओं को शिक्षा देने का प्रबन्ध करना

6. –
7. –
8. –
9. –
10. –
11. –
12. –

14.

अध्यक्ष
अकलंक विद्यालय, एसोसिऐशन
कोटा

(2)

संस्था के उद्देश्य व उनकी पूर्ति के साधन
आकर्षक साधनों द्वारा साक्षरता का प्रसार
वही
वही
वही

राजस्थान सरकार एवं सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली के शिक्षा विभाग के नियमानुसार बालक–बालिकाओं को शिक्षा देने का प्रबन्ध करना तथा उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय आदि चलाना

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो विशेष रूप से वयस्कों को कार्य विशेष में शिक्षित कर रोजगारोन्मुख शिक्षा देना।

हस्त शिल्प व हस्त कला उद्योगिक शिक्षा के लिए बालक बालिकाओं को शिक्षित करना।

आर्थिक रूप से महिलाओं को समृद्ध बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना।
पर्यावरण – असंतुलन के प्रति आम जन को शिक्षित करना।

आम जन को जन–जीवन व स्वास्थ्य के प्रति शिक्षित करना

सरकार द्वारा चलाये जाने वाली जनकल्याण की गतिविधियों के प्रति जनता को शिक्षित करना।

प्राकृतिक संपदाओं के दुरूपयोग को रोकते हुए उनमें सृजनात्मक कार्य करना। प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण को रोककर उनमें जमीन से जुड़ने की भावना भरना।

महिलाओं विशेष रूप से सामाजिक व आर्थिक रूप से दुर्बल महिलाओं के

सचिव
अकलंक विद्यालय एसोसिऐशन
कोटा

(कोषाध्यक्ष)

C:\PMS INSTITUTE\AKLANK1.PM5

विशेष नोट :– उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4. प्रबन्ध

1. इस संस्था का संचालन वार्षिक अधिवेधन के अवसर पर जनरल सभा द्वारा चुनी हुई कार्यकारिणी समिति द्वारा होगा।

2. संस्था की आर्थिक व्यवस्था के निम्न दो स्रोत होंगे :–

(अ) सार्वजनिक तथा राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त मासिक एवं फुटकर सहायता

(आ) संरक्षक सहायक एवं पोषकों द्वारा दी गई एक मुश्त सहायता, संस्था को एक मुश्त 1001 रुपया या इससे अधिक सहायता देने वाले संरक्षक: 501 रुपये से 1000 रु तक देने वाले सहायक व 100 रुपये से 500 रुपये तक देने वाले पोषक कहलायेंगे।

(संरक्षक, सहायक व पोषकों के नाम बोर्ड पर अंकित कर दिये जावेंगे।

उत्थान के लिए कार्य करना।

संस्था के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं –

1.अकलंक विद्यालय ऐसोसियेशन कोटा द्वारा शिक्षा के प्रसार के लिये विद्यालय, महा विद्यालय एवं महिला विद्यालय की स्थापना करना एवं उनको सन्चाालित करना।

2.गरीब व अनाथ बच्चों की फीस एवं पाठ्य पुस्तकों में आर्थिक मदद देना तथा निर्धन छात्र–छात्राओं को छात्र वृत्ति प्रदान करना।

1. संस्था संचालन साधारण सभा द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जावेगा। इस प्रकार चुनी हुई समिति के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा।

2. संस्था के आर्थिक व्यवस्था के निम्न लिखित स्रोत होंगे :–

a सदस्यता शुल्क, प्रवेश शुल्क आदि से प्राप्त राशि।

b राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त सहायता।

c सार्वजनिक संस्थाओं, अर्द्धसरकारी संस्थाओं एवं नगर परिषद, नगर विकास न्यास, नगर निगम आदि द्वारा प्रदत्त सहायता।

d अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त सहायता, चन्दा एवं दान।

e ऐसोसिऐशन की सम्पत्ति एवं ध्रुव राशि से प्राप्त किराया एवं ब्याज आदि।

(f)संरक्षक सहायक एवं पोषकों द्वारा दी गई एक मुश्त सहायता, संस्था को एक मुश्त 1001 रुपया या इससे अधिक सहायता देने वाले संरक्षक : 501 रुपये से 1000 रुपये तक देने वाले सहायक व 100 रुपये से 500 रुपये तक देने वाले पोषक कहलायेंगे।

अध्यक्ष
अकलंक विद्यालय, एसोसिऐशन
कोटा

सचिव
अकलंक विद्यालय एसोसिऐशन
कोटा

(कोषाध्यक्ष)

5. जनरल समिति व उसके अधिकार

1. जनरल समिति के सदस्य वे ही 18 वर्ष से ऊपर उम्र वाले महानुभाव हो सकेंगे

(अ) जो संस्था की अवैतनिक रूप में किसी भी प्रकार की सेवा करते हों अथवा जिन्हें कार्यकारिणी द्वारा सम्मानीय सदस्य मान लिया गया हो।

(आ) जो संस्था को कम से कम 1 रुपया वार्षिक सहायता देते हों।

2. विद्यालय के संरक्षक, सहायक व पोषक आजीवन इस संस्था के सदस्य माने जावेंगे

3. विद्यालय के भूतपूर्व अध्यक्ष मंत्री भी संस्था के सम्मानीय सदस्य माने जावेंगे।

4. जनरल समिति के निम्न अधिकार होंगे :–

1. वार्षिक अधिवेशन पर कार्यकारिणी का चुनाव
2. कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तुत संस्था के नियमों को पास, परिवर्तन एवं संशोधित करना
3. वार्षिक रिपोर्ट और आय–व्यय को विचार कर पास करना
4. आडीटर का चुनाव करना, यदि आवश्यकता हो तो उनका पारिश्रमिक नियत करना
5. वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित आये हुए प्रस्तावों पर विचार करना जिनका दो सदस्यों के हस्ताक्षरों के जलसे के कम से कम दो दिन पूर्व विद्यालय के कार्यालय में मंत्री के पास पहुंचना आवश्यक है।
6.

5. आवश्यकता के अनुसार साल में कभी भी कार्यकारिणी समिति द्वारा या सदस्यों के 1/4 के आवेदन पर विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकेगा, साधारण तथा सितम्बर के अंत तक वार्षिक अधिवेशन हुआ करेंगे।

अध्यक्ष
अकलंक विद्यालय, एसोसिऐशन
कोटा

साधारण सभा का गठन, उसके कार्यक्षेत्र एवं अधिकार

जनरल समिति के सदस्य 21 वर्ष के ऊपर वाले महानुभाव हो सकेंगे।

(अ) हटाना है

(आ) हटाना है

वही

वही

वही

वही

वही

4. चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा आय–व्यय को पास करने का पारिश्रमिक नियत करना।

5. वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित आये हुए प्रस्तावों पर विचार करना, जिनका दो सदस्यों के हस्ताक्षरों से युक्त सभा के कम से कम दो दिन पूर्व विद्यालय के कार्यालय अथवा मंत्री के पास पहुंचाना आवश्क है।

6. अगले वर्ष का वार्षिक बजट पास करना।

5. विशेष अधिवेशन आवश्यकतानुसार वर्ष में कभी भी कार्यकारिणी समिति अथवा सदस्यों की एक चौथाई संख्या के लिखित आवेदन पर विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकेगा। ऐसे विशेष अधिवेशन में उन्हीं विषयों पर विचार होगा जिनके लिए अधिवेशन बुलाया गया है।

सचिव
अकलंक विद्यालय एसोसिऐशन
कोटा

(कोषाध्यक्ष)

6. साधारण जलसों की सूचना, मीटींग स्थान, तिथि और उसमें होने वाले कार्य की सूचना के साथ कम से कम एक सप्ताह पूर्व जारी की जावेगी।

7. जनरल सभा की मीटिंग का कोरम 1/3 सदस्यों का होगा। कोरम पूरा न होने पर स्थगित जलसे का कोई कोरम नहीं होगा

8. जलसे में सब निर्णय बहुमत द्वारा किए जायेंगे, बराबर मत होने पर जिधर सभापति की सम्मति होगी मामला उसी ओर तय किया जावेगा।

9. प्रत्येक सदस्य को केवल एक ही मत देने का अधिकार होगा

10. प्रत्येक जलसे की कार्यवाही निश्चित समय कोरम पूरा होते ही आरम्भ की जावेगी। आधा घंटे तक कोरम पूरा न होगा तो अधिक से अधिक एक गाह के लिए जलसा स्थगित कर दिया जावेगा।

11. इस विधान में किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन परिवर्धन जनरल समिति के 2/3 सदस्यों की स्वीकृति पर ही हो सकेगा

12. संस्था सर्वोपरि व सब तरह के अधिकार जनरल सभा को होगा।

13. कार्य समिति में 15 सदस्य होंगे, जिनमें दो तिहाई से अधिक किसी एक सम्प्रदाय विशेष के नहीं होंगे। इनमें निम्न पदाधिकारी भी सम्मलित होंगे :– (1) प्रधान (2) मंत्री (3) सहायक मंत्री तथा (4) कोषाध्यक्ष ।

अध्यक्ष
अकलंक विद्यालय, एसोसिऐशन
कोटा

6. अधिवेशन की सूचना : वार्षिक, विशेष अधिवेशन की सूचना उनमें किए जाने वाले कार्य की सूचना के साथ कम से कम 10 दिन पूर्व जारी किया जाना आवश्यक है।

7. गणपूर्ति (कौरम) :– वार्षिक / विशेष अधिवेशन के लिए गणपूति (कौरम) सदस्य संख्या का एक तिहाई संख्या अथवा 20 सदस्यों में, जो भी कम हो होगी। निश्चित समय से आधा घंटे तक गणपूर्ति होने पर बैठक स्थगित कर दी जायेगी। ऐसी स्थगित बैठक आधा घंटे पश्चात पुनः हो सकेंगी तथा इसके लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

8. सभा के सभी निर्णय बहुमत के द्वारा लिये जायेंगे। बराबर मत होने पर जिधर सभापति की सम्मत्ति होगी मामला उसी ओर तय किया जायेगा।

9. वही है

10. हटाना है

11. इस विधान में किसी प्रकार का परिवर्तन, संशोधन परिवर्धन साधारण सभा के उपस्थित तीन चौथाई सदस्यों की स्वीकृति पर ही हो सकेगा।

12. सस्था का सर्वोपरि अधिकार व सब तरह का अधिकार साधारण सभा को होगा।

13. कार्य समिति में 15 सदस्य होंगे, जिनमेंजिनमें दो तिहाई से अधिक किसी एक सम्प्रदाय विशेष के नहीं होंगे। इनमें निम्न पदाधिकारी भी सम्मिलित होंगे :– (1) अध्यक्ष (2) मंत्री (3) सहायक मंत्री तथा (4) कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष ।

मंत्री
अकलंक विद्यालय एसोसिऐशन
कोटा

(कोषाध्यक्ष)

14. कार्यसमिति के 15 सदस्यों में से 10 का चुनाव वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर जनरल समिति द्वारा किया जावेगा और शेष 5 का सहयोग प्राप्त करने का अधिकार 10 चुने हुए व्यक्तियों को होगा।	14. कार्य समिति के 15 सदस्यों में 10 का चुनाव वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर साधारण सभा द्वारा किया जावेगा और शेष 5 का सहयोग प्राप्त करने का अधिकार 10 चुने हुए व्यक्तियों को होगा। नोट :– शि.वि. से अनुदान लेना जारी रखना हो तो समय समय पर शि.वि. के आदेशों के अनुसार ही कार्यकारिणी का चुनाव होगा और पदाधिकारियों के अधिकार भी उनके अनुसार होंगे।
15. कार्य समिति का कोरम 8 का माना जावेगा, प्रधान की अनुपस्थिति में कार्यकारिणी उस जलसे के लिए प्रधान चुनकर कार्यवाही करेगी।	15. कार्य समिति का कौरम 8 व्यक्तियों माना जावेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे कार्यकारिणी उस सभा के लिए अध्यक्ष चुनने की कार्यवाही करेगी।
16. कार्य समिति के निम्नलिखित अधिकार होंगे :–	16. कार्य समिति के अधिकार :–
1. नई कार्य समिति बनने पर 5 व्यक्तियों को सहयोगी बनाकर पूर्ति करना	1. यदि आवश्यक हो तो 5 सदस्यों का सहवरण कर लिया जावे अन्यथा शि.वि. के संशोधित नियमों के अनुसार कार्यवाही की जावे।
2. नई बनी हुई कार्यसमिति के पदाधिकारियों का चुनाव	2. वही
3. वर्ष के मध्य में कोई स्थान रिक्त हो जाने पर सदस्यों में से उस स्थान	3. वही
4. संस्था के लिए वेतनिक अथवा अवैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा वैतनिक कर्मचारियों को पृथक व दण्डित करना।	4. हटाना है
5. मंत्री तथा प्रधान के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनना व उसको निर्णय करना।	5. मंत्री तथा अध्यक्ष के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनना व उसका निर्णय करना।
6. जनरल समिति द्वारा स्वीकृत बजट के अन्तर्गत खर्च करना वर्ष के अंत में आर्य–व्यय के आंकडों के साथ सालाना रिर्पोट तैयार करवाकर पास करना व जनरल समिति में प्रस्तुत करना।	6. साधारण सभा द्वारा स्वीकृत बजट के अन्तर्गत खर्च करना। वर्ष के अन्त में आय व्यय के आंकड़ों के साथ सालाना रिर्पोट तैयार करना व उसे पास कराने को साधारण सभा में प्रस्तुत करना।
7. विशेष आवश्यकता पर कार्य समिति बजट के अतिरिक्त उसके 1/4 तक विशेष खर्चा कर सकेगी, इससे अधिक के लिए जनरल समिति की स्वीकृति लेना आवश्यक होगी।	7. विशेष आवश्यकता होने पर कार्य समिति बजट के अतिरिक्त विशेष खर्चा कर सकेगी। इस खर्च का विवरण साधारण सभ की वार्षिक सभा में पेश किया जायेगा।

1–संकलन का पंजीयन क्रमांक 89/56
2–संस्था का नाम अकलंक विद्यालय
3–किस्म दस्तावेज संशोधित नियम
4–दस्तावेजो की संख्या
5.–दिनांक पंजीयन 19-10-56
6.–हस्ताक्षर रजिस्ट्रार

रजिस्ट्रार
संस्थायें कोटा (राज०)

अध्यक्ष
अकलंक विद्यालय, एसोसिएशन
कोटा

सचिव
अकलंक विद्यालय एसोसिएशन
कोटा

(कोषाध्यक्ष)

8. संस्था की रकम फाजिल पड़ी हो तो उसे अच्छे ब्याज पर लगाना या इसके हेतु किसी को अधिकृत करना।	8. संस्था की रकम फिजूल पड़ी हो तो उसे अच्छे ब्याज पर लगाना या इसके हेतु किसी के आधीन करना। इस रकम को इन्हीं उद्देश्यों वाली अन्य सामाजिक संस्था/संस्थाओं में लगाया जा सकेगा।
9. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा तथा प्रबन्ध के विषय में समस्त आवश्यक कार्यवाही करना अथवा किसी के द्वारा करवाना।	9. वही है
10. सस्था की ओर से होने वाली अथवा संस्था पर होने वाली अदालती कार्यवाही को निपटाने के लिए किसी को अधिकृत करना व आवश्यक हो तो उसके लिए कानूनी सलाहकार अथवा अभिभाषक नियुक्त करना।	10. वही है
11. वार्षिक रिर्पोट व आय–व्यय विवरण छपवाकर वितरित करना।	11. वार्षिक रिर्पोट व आय–व्यय का विवरण पेश करना। ऐसोशियेशन के आय–व्यय का विवरण कार्यकारिणी के सदस्यों में छपवाकर वितरित करना। एवं रजिस्ट्रार संस्था को प्रतिवर्ष भेजना।
12. ओडिट नोटों पर विचार करना इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करना।	12. वही है
13. आवश्यकतानुसार सब कमेटीयां बनाना तथा उनके काम की निगरानी करना।	13. वही है
14. आवश्यकतानुसार संस्था के प्रबंध के हेतु नियम बनाना व प्रस्तुत कर नियमावली के आवश्यकतानुसार संशोधन, परिवर्धन को जनरल समिति में प्रस्तुत करना।	14. वही है
15. किसी सदस्य के लगातार 3 बैठक तक बिना उचित कारण के अनुपस्थित रहने पर उसका स्थान रिक्त घोषित करना व उसकी आवश्यकतानुसार पूर्ति करना।	15. वही है
16.	16. "आवश्यकतानुसार संस्था प्रबंध एवं प्रगति हेतु किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से भवन निर्माण, फर्नीचर, कम्प्यूटर इत्यादि के लिए ऋण लेने की कार्यवाही हेतु कार्यकारिणी समिति द्वारा सर्व सम्मति से पारित विशेष प्रस्ताव स्वीकृत किया जाना एवं संस्था के अध्यक्ष और सचिव को इस हेतु अधिकृत करना।"

R. Kumar
अध्यक्ष
अकलंक विद्यालय, एसोसिएशन
कोटा

सचिव
अकलंक विद्यालय एसोसिएशन
कोटा

(कोषाध्यक्ष)

8

17. प्रधान के अधिकार : प्रधान के निम्न अधिकार होंगे :–

1. कार्य समिति तथा जनरल समिति का समापतित्व करके नियमानुसार कार्य संचालन करना और किसी विषय पर समान मत होने की दशा में अपना निर्णय मत देना। विशेष जलसों के लिए सभापति अलग चुने जा सकेंगे।

2. महावारी खर्च के अतिरिक्त 50 रु. तक स्वीकृत बजट में से खर्च करना।

3. संस्था के वैतनिक कर्मचारियों के किसी अपराध पर अधिक से अधिक तीन दिन की अनुपस्थिती का दण्ड देना और वेतन में से कटाना।

4. कार्यवाइयों पर पास हो जाने पर हस्ताक्षर करना व नियम विरुद्ध कार्यवाही को रोकना

5. मंत्री के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना व उसका निर्णय देना।

6.

18. मंत्री के निम्न अधिकार होंगे :–

1. संस्था की दैनिक व मासिक कार्यवाही को चलाना, मासिक वेतन चुकाना स्वीकृत बजट के भीतर सायर खर्च की स्वीकृति देना

2. आवश्यक कार्य आ जाने पर 25 रुपये तक की स्वीकृति देना और फिर कार्यसमिति में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।

3. वेतनिक कार्यकर्ताओं की रियायती छुट्टी स्वीकृत करना अथवा अस्वीकृत करना।

4. संस्था की ओर से कागजों पर अपने हस्ताक्षर से पत्र व्यवहार करना व रसीद देना।

अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्त्तव्य : अध्यक्ष के निम्न कार्य होंगे :–

1. कार्य समिति तथा साधारण सभा का सभापतित्व करना व नियमानुसार कार्य संचालन करना और किसी विषय पर समान मत होने की दशा में अपना निर्णायक मत देना नोट :– विशेष सभाओं के लिए सभापति अलग से चुने जा सकेंगे।

2. आवश्यकता होने पर बजट के बाहर रु. 5000 तक की एक बार में स्वीकृती प्रदान करना।

3. संस्था के वेतनिक कर्मचारियों की स्थाई नियुक्ति करना।

4. वही है

5. वही है

6. किसी कर्मचारी का अपराध प्रमाणित होने पर पद से अलहदा करना।

7. विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता होने पर विद्यालय में वर्ष में 2 दिन की छुट्टी करना।

मंत्री / व्यवस्थापके अधिकार एवं कर्तव्य

1. संस्था की दैनिक व मासिक कार्यवाही को चलाना, मासिक वेतन चुकाना, बजट के भीतर किसी विशेष खर्च की स्वीकृति देना।

2. आवश्यक कार्य आ जाने पर बजट के बाहर रु. 2500/– तक की स्वीकृति देना।

3. वेतनिक कार्यकर्ताओं की रियायती, सवेतन, अर्द्धवेतन या बिना वेतन छुट्टी स्वीकृत करना व अस्वीकृत करना।

वही है

R. Kuml

अध्यक्ष
अकलंक विद्यालय, एसोसिएशन
कोटा

सचिव
अकलंक विद्यालय एसोसिएशन
कोटा

(कोषाध्यक्ष)

5. वर्ष की समाप्ति पर हिसाब व कार्यवाही की रिपोर्ट बनाकर कार्य समिति सम्मुख प्रस्तुत करना।	वही है
6. कार्य समिति व जनरल समिति के कार्यक्रम बनाना दोनों की कार्यवाहियों को रजिस्टर में लिखना।	कार्य समिति व साधारण सभा के कार्यक्रम बनाना दोनों की कार्यवाहियों को रजिस्टर (मिनिट बुक) में लिखना
7. संस्था की एक सप्ताह में एक दिन तक की छुट्टी देना।	7. विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता होने पर विद्यालय में 2 दिन की छुट्टी करना।
8. संस्था की सब कमेटियों से कामों की निगरानी रखना।	वही है
9. चपरासी की एक दिन के वेतन की सीमा तक दण्ड देना उनकी नियुक्ति करना अथवा उसको पृथक करना।	9. चपरासियों की नियुक्ति, अलहदगी सजा तथा जुर्मानें का पूरा अधिकार होगा तथा चपरासियों को एक दिन के वेतन की सीमा तक दण्ड देना, उनकी नियुक्ति करना तथा उन्हें पृथक करना।
10. मंत्री की अनुपस्थिति में सहायक मंत्री उपरोक्त सभी अधिकार काम में ले सकेंगे। साधारणतः जो काम सुपुर्द किया जावे उसे करेंगे।	वही है
11.	11. मुख्य अध्यापक के निर्णय की अपील सुनना।
19. मुख्याध्यापक के कर्तव्य अधिकार निम्न होंगे :–	
1. मुख्याध्यापक विद्यालय की पढ़ाई, अनुशासन, व्यवस्था तथा छात्रों के चरित्र के लिए मुख्य रुपेण जिम्मेदार होंगे।	हटाना है
2. सहायक अध्यापकों के काम पर निगरानी रखना,	हटाना है
3. सहायक अध्यापकों के पढ़ाने के ढंग, मौखिक तथा लिखित कार्य का निरीक्षण करना तथा समुचित पथ प्रदर्शन करना।	हटाना है
4. अपने सहायक अध्यापकों व नौकरों को वर्ष में 15 दिन तक की इत्तफाकिया छुट्टी देना।	हटाना है
5. नौकरों पर अथवा छात्रों पर 4 आना तक जुर्माना करना व छात्रों को आवश्यकता होने पर शारीरिक दंड देना	हटाना है
6. मुख्याध्यापक स्वीकृत छुट्टीयों के अतिरिक्त सप्ताह में आधे दिन तक की छुट्टी दे सकेंगे।	हटाना है
7. परीक्षा की तैयारी के लिए विभिन्न कक्षाओं को शिक्षा विभाग की नीति–रीति के अनुसार छुट्टी दी जा सकेगी।	हटाना है

अध्यक्ष
अकलंक विद्यालय, एसोसिएशन
कोटा

सचिव
अकलंक विद्यालय एसोसिएशन
कोटा

(कोषाध्यक्ष)

8. माहवारी 1 रु. तक सायर खर्च करके माह के अंत पर स्वीकृति लेना। हटाना है

9. जुर्माना/प्रवेश शुल्क/संस्था त्याग शुल्क/प्रमाण पत्रादिक के शुल्क के हिसाब नियमानुसार रखे जावेंगे हटाना है

10. दीन हीन छात्रों को पुस्तकें दिलाई जा सकेगी। हटाना है

11. विद्यालय के समस्त कार्य की जिम्मेदारी मुख्याध्यापक की होगी। हटाना है

12. शिक्षा विभाग द्वारा चाही गई समस्त सूचना आदि ये अपने हस्ताक्षरों से भेज सकेंगे किन्तु इनकी सूचना मंत्री को दिया जाना आवश्यक होगा। हटाना है

13. मंत्री व प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना इनका कर्तव्य होगा। हटाना है

कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य

19. विद्यालय के हिसाब–किताब की जांच करना तथा केश बुक पर दस्तखत करना।
समिति के ध्रुव फण्ड की अभिवृद्धि करना।

20. निम्नांकित दशा में कार्य समिति किसी सदस्य को संख्या की सदस्यता से पृथक कर सकेंगे किन्तु सदस्यता से पृथक करने के लिए स्थायी सदस्यों में से 2/3 की सम्मति आवश्यक होगी।

20. निम्नलिखित दशा में कार्य समिति किसी सदस्य को संस्था की सदस्यता से पृथक कर सकेगी, किन्तु सदस्यता से पृथक करने के लिए कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्यों में से तीन चौथाई की सम्मति होनी आवश्यक होगी।

1. नैतिक पतन का अधिकारी सिद्ध होने पर

2. संस्था को धोखा देने अथवा जान बूझकर ऐसा काम करने पर जिससे की संस्था की मान–प्रतिष्ठा को आघात पहुंचे।

1. वही है

2. वही है

21. पृथक किये गये सदस्य जनरल समिति में अपील कर सकेंगे।

21. पृथक किये गये सदस्य साधारण सभा में अपील कर सकेंगे।

अध्यक्ष
अकलंक विद्यालय, एसोसिऐशन
कोटा

सचिव
अकलंक विद्यालय एसोसिऐशन
कोटा

(कोषाध्यक्ष)

22.	22. कार्यकारिणी, इसके द्वारा चलाये जा रहे के विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शिक्षा विभाग /विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्राचार्यों की नियुक्ति करेगी। प्राचार्य/ऐसोसिऐशन द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों के अन्तर्गत मंत्री व अध्यक्ष के आदेशानुसार काम करेगें।
23.	23. संस्था के अंकेक्षण : संस्था के समस्त लेखो–जोखों का वार्षिक अंकेक्षण चार्टेड एकाउंटेंट कम्पनी से कराया जाएगा।
24.	24. संस्था के विधान में परिवर्तन : संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार संशोधन परिवर्तन व परिवर्धन साधारण सभा के उपस्थित कुल सदस्यों के 3/4 बहुमत से किया जा सकेगा, जो राजस्थान रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।
25.	25. संस्था का विघटन : यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल–अचल संपत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तांतरित कर दी जाएगी, लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरुप होगी।
26.	26. संस्था के लेखे–जोखों का निरीक्षण : रजिस्ट्रार संस्था, कोटा, को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उसके द्वारा किए गए सुझावों की पूर्ति की जाएगी।

प्रमाणित किया जाता है कि यह ... नकल लेने के हेतु प्रार्थना पत्र देने की दिनांक 3-8-2001
नकल तैयार करने की दिनांक 14-9-2001
नकल देने की दिनांक 15-9-2001
रजिस्ट्रार संस्थायें कोटा (राज०)

रजिस्ट्रार संस्थाएं कोटा राजस्थान

कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से उपरोक्त संशोधन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया।

हम नीचे हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति यह प्रमाणित करते हैं कि यह विधान अकलंक विद्यालय ऐसोसिऐशन कोटा की शुद्ध और सही प्रतिलिपि है।

1–संस्था का पंजीयन क्रमांक 99/56-57
2–संस्था का नाम अकलंक विद्यालय एसोसियेशन कोटा
3–किस्म दस्तावेज संघ विधान (संशोधित) उपधारायें 26 की
4–दस्तावेजो की संख्या ......
5,–दिनांक पंजीयन 19-10-56
6–हस्ताक्षर रजिस्ट्रार ......

रजिस्ट्रार
संस्थायें कोटा (राज०)

अध्यक्ष
अकलंक विद्यालय, एसोसिऐशन
कोटा

सचिव
अकलंक विद्यालय एसोसिऐशन
कोटा

(कोषाध्यक्ष)